

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक-10.11.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त संतोष कुमार श्रीवास्तव पुत्र रामप्रकाश निवासी खिमसेपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स०-301/2020 वाद संख्या 331/2021 धारा 304,201 भा०द०वि० कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा० न्यायालय ई०सी० एक्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 10.11.2025 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 35000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी- श्री अखिलेश कुमार



को० मो० का० गौरव यादव



पैरोकार का० गुलाम घोष

